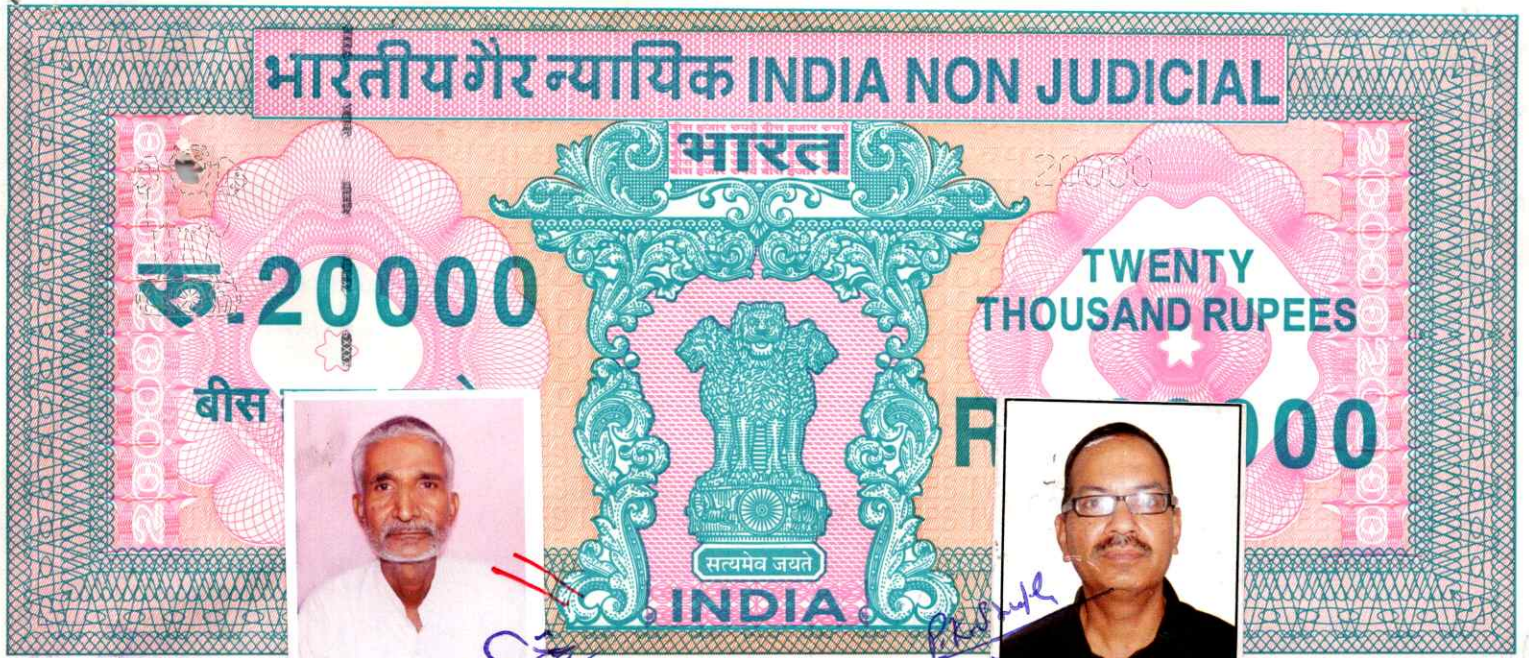


9024

श्यामदीप



उत्तर प्रदेश UTT

B 436457

बैनामा / विक्रय विलेख पत्र

किस्म दस्तावेज	—	बैनामा
भूमि का प्रकार	—	कृषि भूमि
मौजा / ग्राम	—	मौजा— ककुआ, तहसील व जिला आगरा
सम्पत्ति का विवरण	—	कृषि भूमि खाता सं० 00095 (1427—1432 फसली) खसरा सं० 706 क्षेत्रफल 0.2400 हेक्टेयर में से क्षेत्रफल 0.1200 हेक्टेयर
यूनिक कोड	—	1246210706000012
मापन की इकाई	—	हेक्टेयर
विक्रीत क्षेत्रफल	—	0.1200 हेक्टेयर
पेड़ों का मूल्यांकन	—	2 नीम व 1 शीशम का पेड़ है जिनकी सामाजिक वानिकी प्रभाग द्वारा निर्धारित मूल्यांकन के अनुसार कीमत 4433/— रुपया है।

श्यामदीप

P. K. Shukla



अनुसूचित जाति आयोग
00005 420410

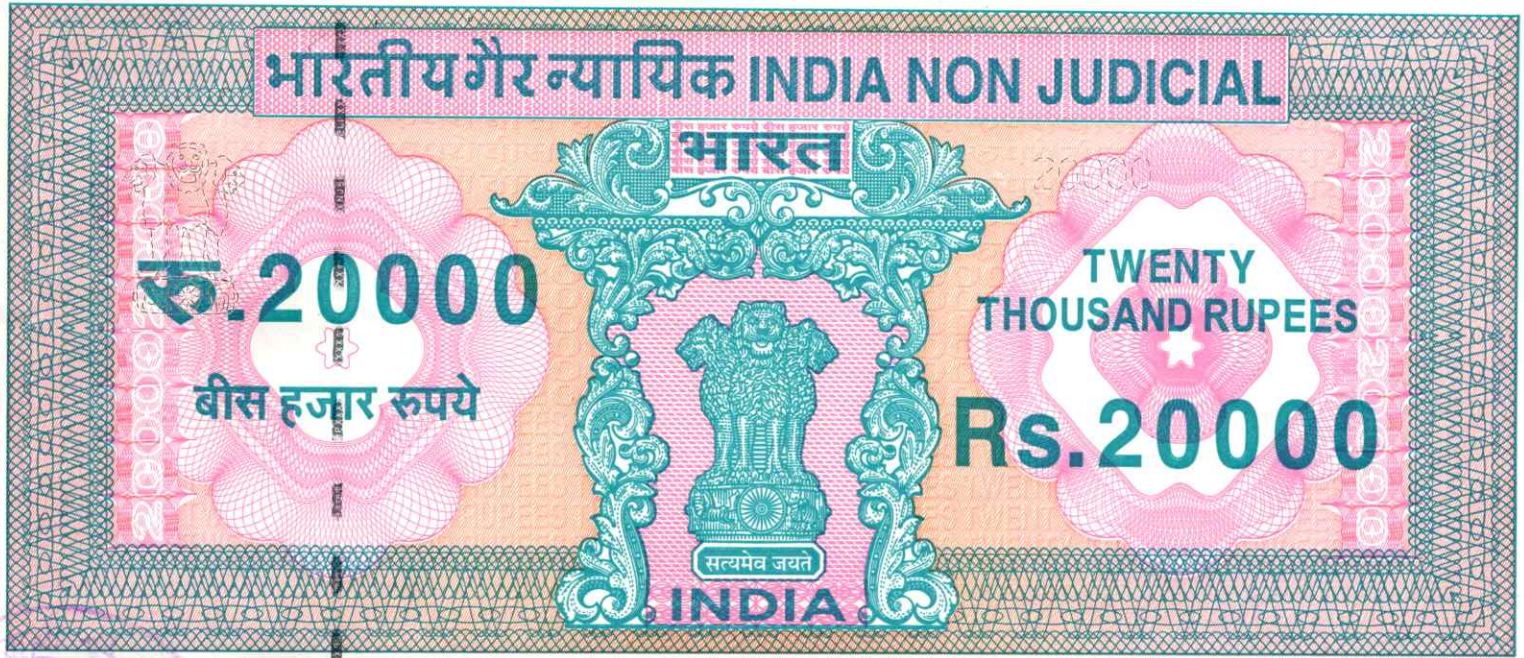


यह स्टाम्प धनराशि रु० 420410
नं० 1 में शामिल है।

MAHESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

04/10/24





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B. 436456

B 436456

-2-

कुंआ, बोरि, निर्माण	—	नहीं है।
सड़क की स्थिति	—	सामान्य कृषि भूमि
सरकारी मालियत	—	15,00,000 /— रुपया
प्रतिफल की धनराशि—		60,04,433 /— रुपया (60,00,000 + 4433)
सर्किल रेट	—	125,00,000 /— रुपया प्रति हेक्टेयर जो उपनिबन्धक चतुर्थ सदर आगरा की दर सूची के पृष्ठ संख्या 47 क्रम सं० 245 पर अंकित है।
स्टाम्प	—	4,20,400 /— रुपये

श्याम बोरि

L. K. Shukla



00000

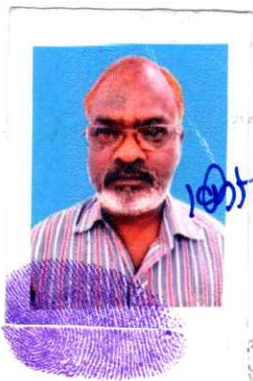


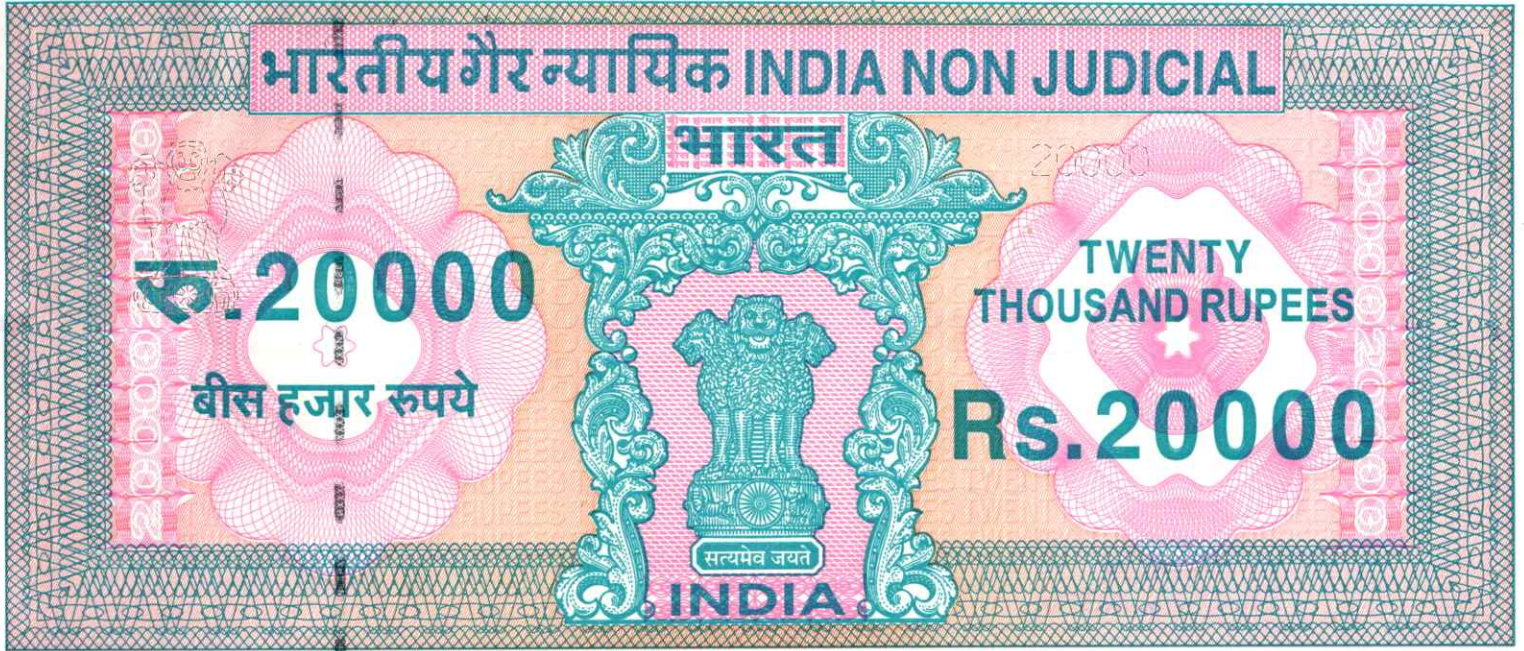
2/2
नं० : 420424
नं० : 1001 है।

[Signature]

MR. SH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

8 438420





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 436455

B 436455

-3-

अन्य विवरण – विक्रीत आराजी की 200 मीटर की परिधि में कृषि हो रही है। विक्रीत आराजी राष्ट्रीय राजमार्ग, लिंक मार्ग व आबादी के सहारे स्थित नहीं है, सामान्य कृषि भूमि है। विक्रीत आराजी धारा 80 के अन्तर्गत आबादी घोषित नहीं हुई है। विक्रेता व क्रेता अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य नहीं है।

श्यामवीर सिंह पुत्र श्री ग्यासी राम निवासी-ग्राम ककुआ, तहसील व जिला-आगरा मो0नं0 9528824640 पैन नं. KRQPS8591R

.....प्रथम पक्ष/विक्रेता

एवं

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा जो उत्तर प्रदेश शहरी एवं विकास अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत गठित एक निगमित निकाय है, जिसका पंजीकृत कार्यालय रतन मुनि रोड, जयपुर हाउस कालोनी आगरा (उत्तर प्रदेश) पर स्थित है द्वारा श्री पंकज कुमार शुक्ला (अवर अभियन्ता) जिन्हें उपाध्यक्ष के आदेश दिनांक 28.09.2024 द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है। मो0 नं0 7088003111 पैन नं. AAALA0081F

.....द्वितीय पक्ष/क्रेता

श्यामवीर सिंह


P.K. Shukla


00000



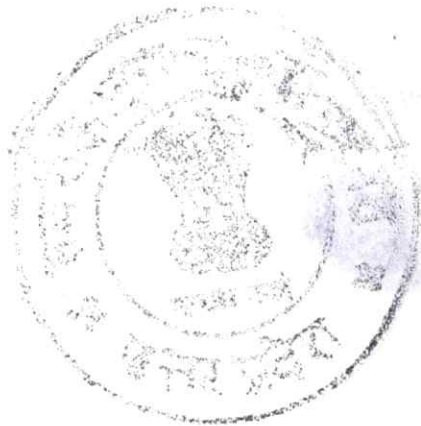
2/3

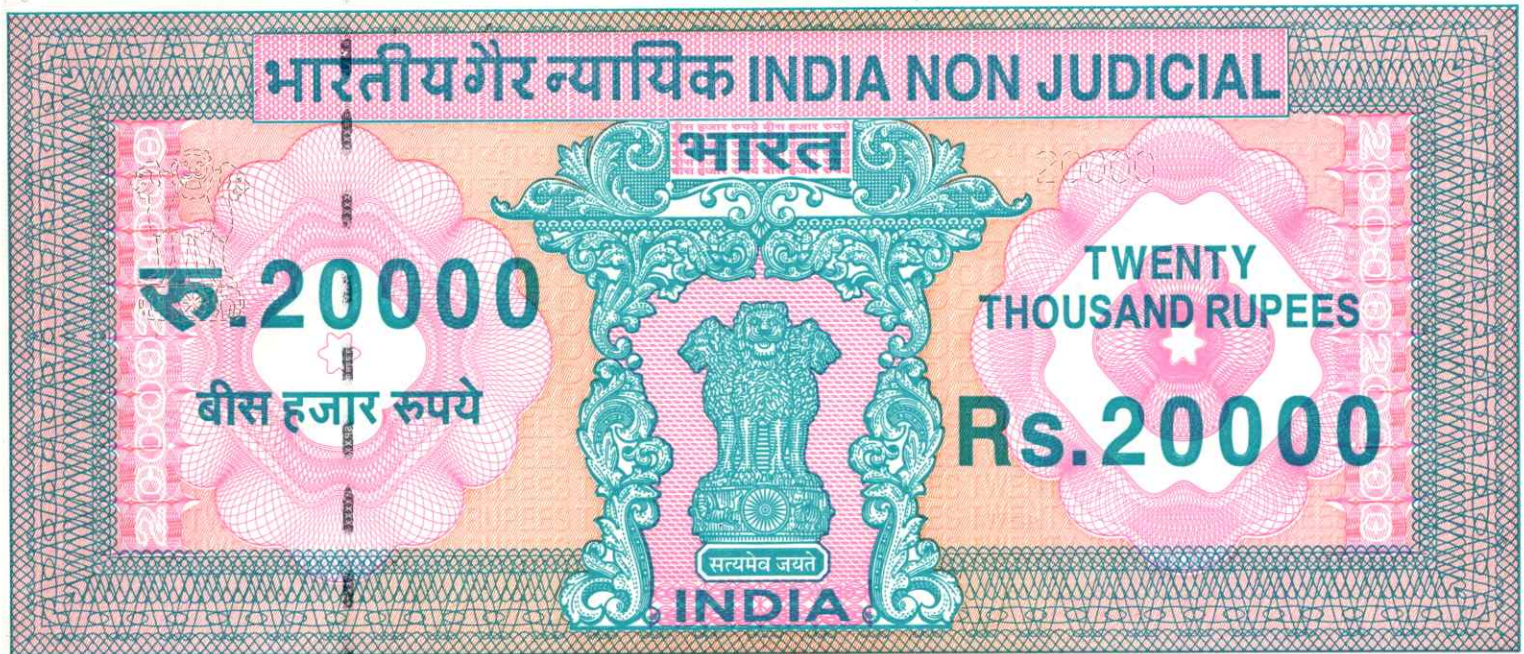
अवकाशिका के 70
नं० 1 में आये।

32

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

8 438438





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 436454

B 436454

-4-

प्रलेख -

विदित हो कि विक्रेता प्रथम पक्ष एक किता आराजी बाकै मौजा ककुआ तहसील व जिला-आगरा कृषि भूमि खाता सं० 00095 (1427-1432 फसली) खसरा सं० 706 क्षेत्रफल 0.2400 हेक्टेयर में से क्षेत्रफल 0.1200 हे० लगानी 60ख अनुसार सन् फसली 1427-1432 फसली का संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज व दखील दर्ज खातेदार चला आता है। जिसमें सिवाय प्रथम पक्ष के अन्य कोई दीगर व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार किसी प्रकार का नहीं है। उक्त आराजी आज की तारीख तक हर प्रकार के ऋण, विक्रय, दान, जमानत, सौदे, दावे, झगड़े, इक्यूटेविल मोरगेज व हर प्रकार की देनदारियों, जिम्मेदारियों आदि से पाक व साफ है।

चराम बिराई

P.K. Shukla



0000S



३
५

५२०५५

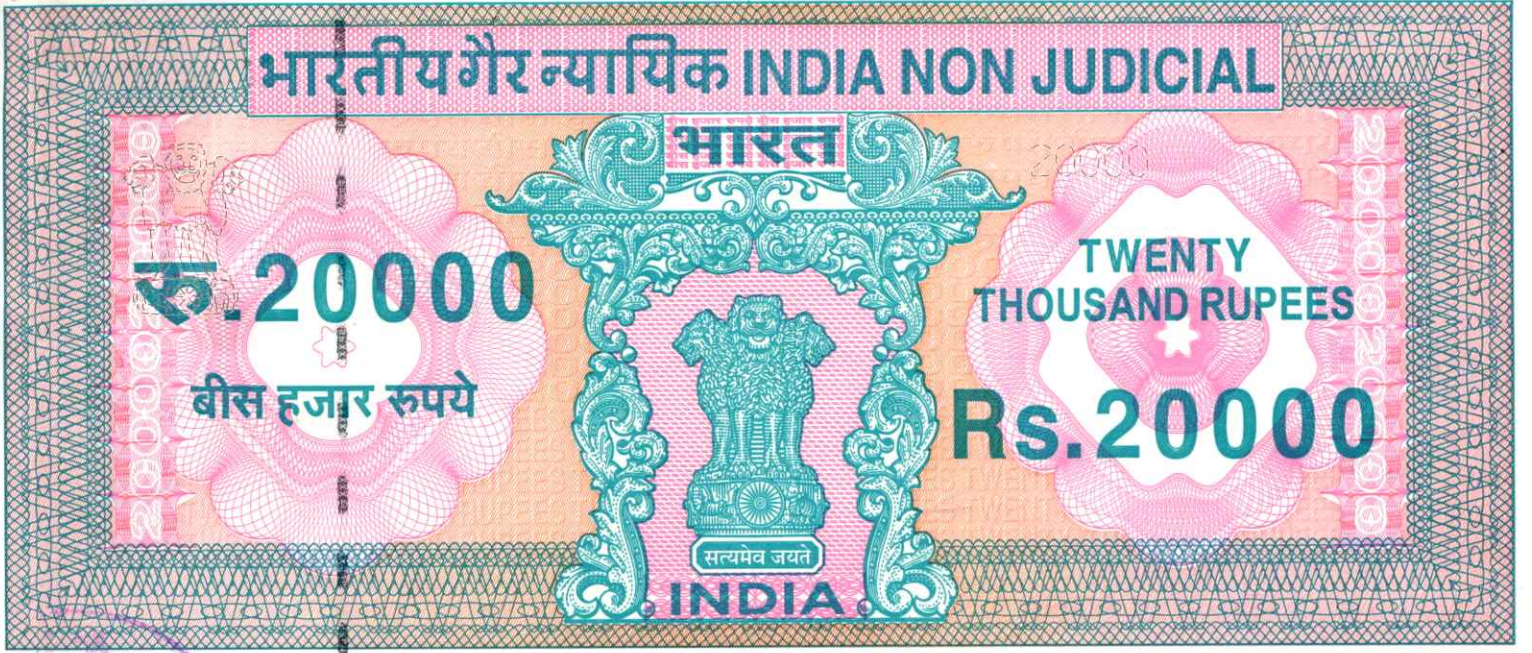
यह स्टांप धनराशि रु० _____
नं० १ में शामिल है :

४३

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

४३३३३३





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 436453

B 436453

-5-

विक्रीत आराजी नजूल या राजकीय आस्थान या ग्राम सभा की सम्पत्ति नहीं है और न ही राज्य सरकार द्वारा किसी योजना में अधिग्रहित है और न कोई मुआवजा प्रथम पक्ष या अन्य ने प्राप्त किया है। विक्रीत आराजी कृषि भूमि है और विक्रीत आराजी को उ०प्र० राजस्व संहिता 2006, की धारा 80 के अन्तर्गत आबादी घोषित नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की है। यह कि द्वितीय पक्ष क्रेता टाउनशिप विकसित करने हेतु उक्त कृषि भूमि को क्रय करने का इच्छुक है जिसको क्रय करने के लिए द्वितीय पक्ष द्वारा सरकारी मालियत की चार गुना धनराशि प्रथम पक्ष को अदा कर रहा है। अतः प्रथम पक्ष अपनी शेष सम्पूर्ण आराजी को द्वितीय पक्ष को विक्रय करने हेतु सहमत है। जिसमें विक्रेता का पूरा-पूरा लाभ है।

श्री राम बर सिंह

P.K. Shukla



0000S

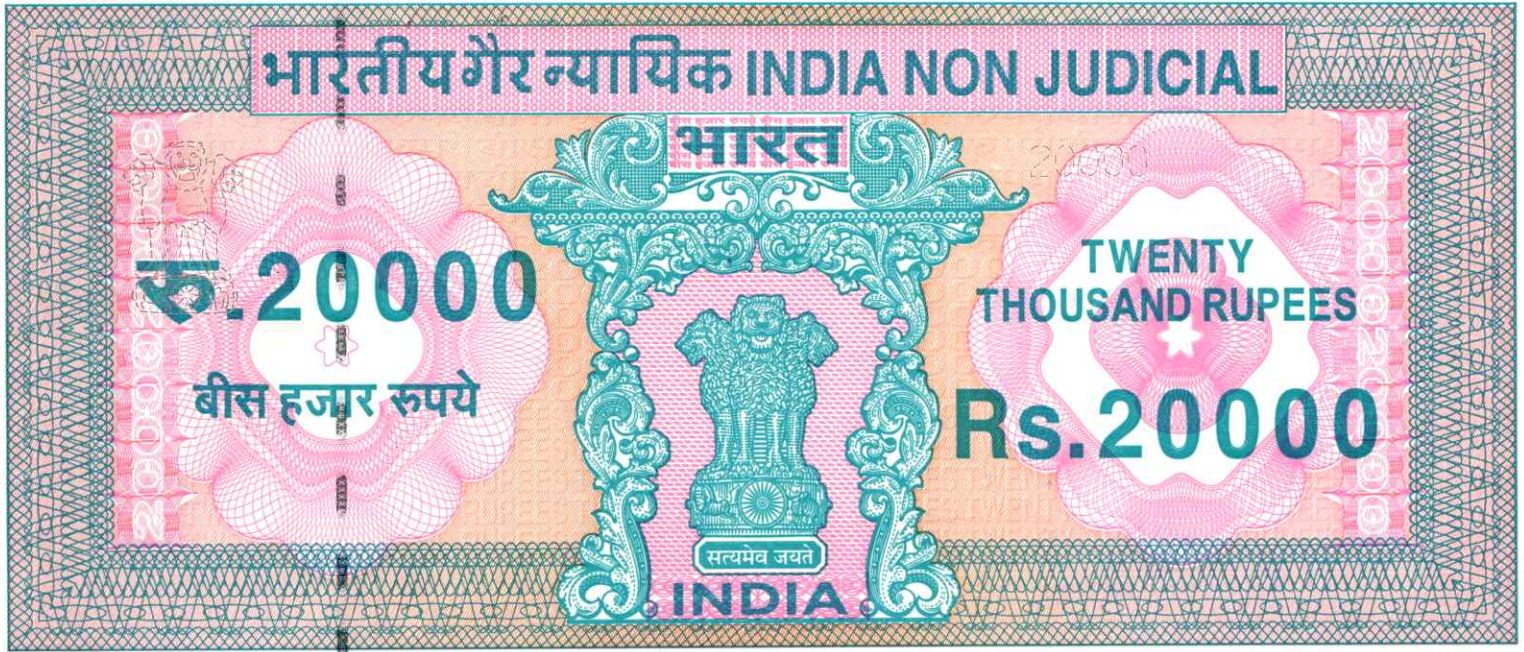


यह स्टाम्प धनराशि रु०
नं० 1 में शामिल है।

MR. HISH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

824884 B





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 436452

B 436452

-6-

लिहाजा विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी राजी व खुशी से खूब सोच व समझकर बिना बहकाये व सिखाये व बिना दबाब किसी नाजायज के इन्द्रियों की ठीक दशा में उक्त वर्णित आराजी का विक्रय 60,04,433/- रुपया में आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा पंजीकृत कार्यालय रतन मुनि रोड, जयपुर हाउस कालोनी, आगरा (उत्तर प्रदेश) द्वारा श्री पंकज कुमार शुक्ला (अवर अभियन्ता) क्रेता द्वितीय पक्ष के हक में पूर्ण अधिपत्य व स्वामित्व व गुड टायटिल सहित वैय कतई किया और बेच दिया। प्रथम पक्ष ने कीमत का कुल रुपया मु0 60,04,433/- रुपया इस प्रकार प्राप्त किया कि-

प्रमाणबिरसिई



P.K. Shukla



00005



27
1

42044

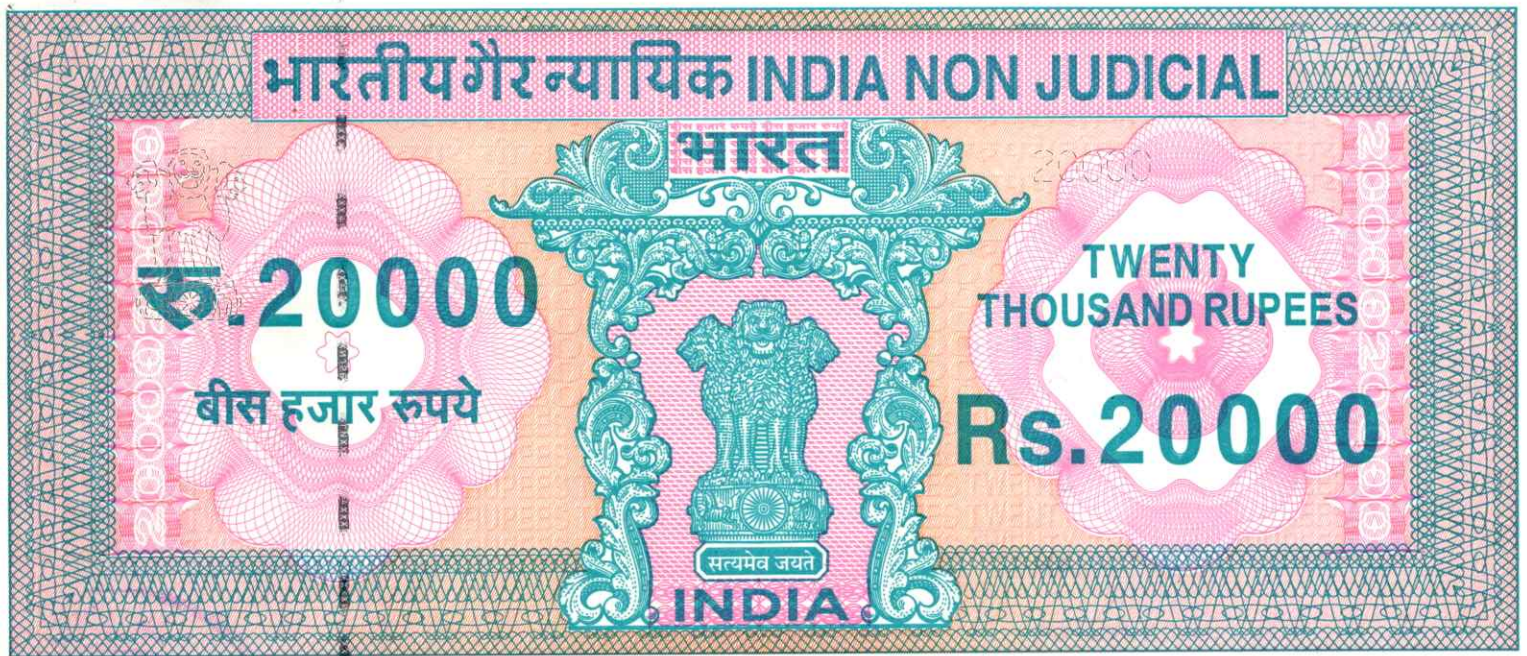
वसुधैव कुटुम्बकम्
नं० 01 नये शासन से:

32

ASH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

8438435





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 436451

B 436451

-7-

क्र.सं.	धनराशि	चैक/डी0डी0 RTGS/UPI सं0	दिनांक	बैंक का नाम
1.	60,04,433/-	003941	07-10-24	एचडीएफ बैंक लि.
कुल	60,04,433/-			

(नोट- विक्रीत आराजी कृषि भूमि होने के कारण इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 194(एल.ए) के तहत टी0डी0एस0 काटने की आवश्यकता नहीं है।)

इस प्रकार प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से कीमत की पूर्ण धनराशि प्राप्त कर ली हैं। जिसको प्रथम पक्ष गवाहों के समक्ष प्राप्त होना स्वीकार करता है। अब उपरोक्त कृषि भूमि की कीमत के सन्दर्भ में प्रथम पक्ष विक्रेता का द्वितीय पक्ष क्रेता से कुछ लेना व पाना शेष नहीं रहा है और न भविष्य में होगा।

ब्रह्मवीर सिंह



P. K. Shukla



00005



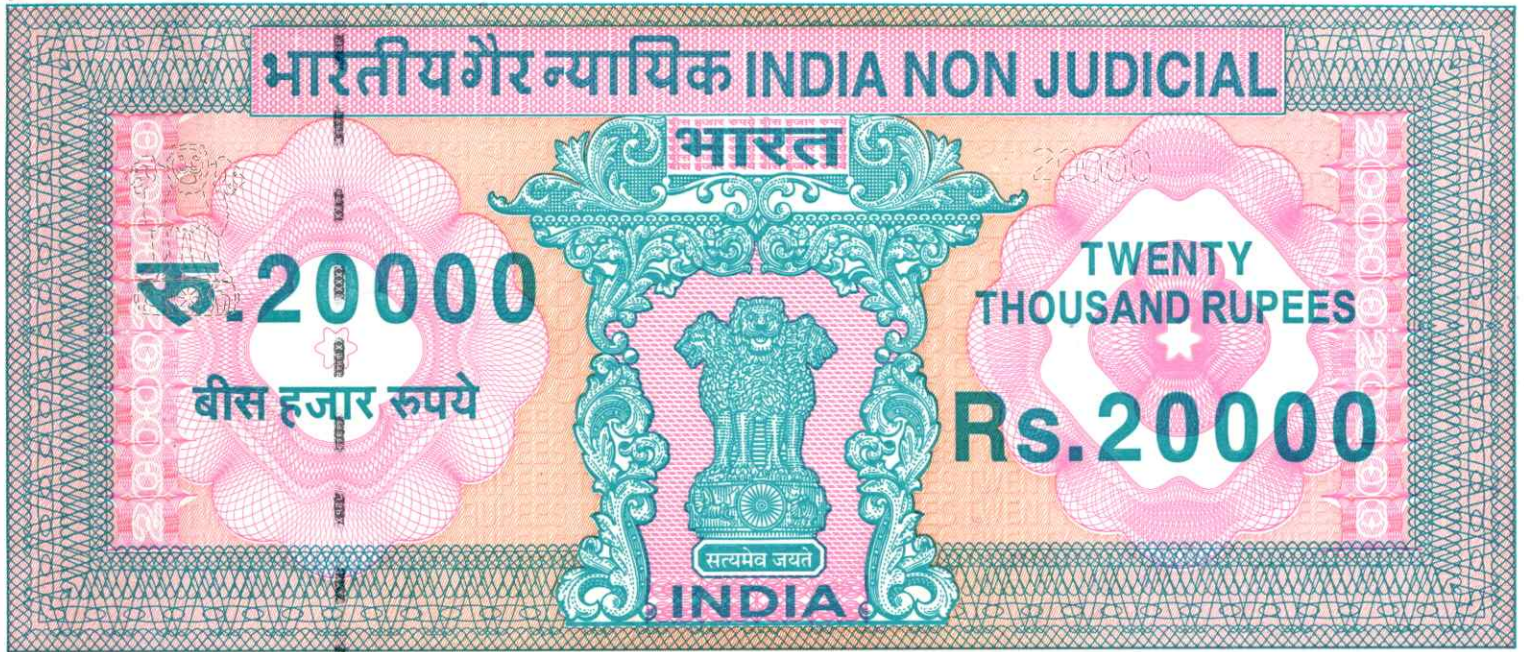
यह स्टाम्प धनराशि रु०
नं० 1 में शामिल है.

420412

SH KUMAR
SHIER
Treasury, AGRA

124884 B





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 436450

B 436450

-8-

अतः कब्जा व दखल विक्रीत कृषि भूमि पर विक्रेता प्रथम पक्ष ने क्रेता द्वितीय पक्ष का करा दिया और द्वितीय पक्ष को विक्रीत कृषि भूमि का पूर्णतः मालिक व स्वामी बना दिया। अब आज की तारीख से उपरोक्त खसरा नम्बरों की कृषि भूमि में प्रथम पक्ष व उनके उत्तराधिकारियों का कोई हिस्सा व स्वामित्व किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न भविष्य में होगा तथा क्रेता द्वितीय पक्ष को अधिकार है कि वह विक्रीत कृषि भूमि से चाहे जिस प्रकार लाभ उठावे, विक्रय करे, कृषि कार्य करे चाहे जैसे अपने प्रयोग में लावे, किसी भी ऋणदायी संस्था से ऋण प्राप्त करे अथवा जिस प्रकार चाहे क्रय की गई भूमि का उपयोग करे। इसमें प्रथम पक्ष व उसके उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है और न भविष्य में होगी। क्रेता द्वितीय पक्ष उपरोक्त बैनामा के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अपने नाम का नामांतरण कराये प्रथम पक्ष विक्रेता अपनी पूर्ण सहमति प्रदान करता है। विक्रीत कृषि भूमि से सम्बन्धित खसरा व खतौनी संलग्न हैं।

P.K. Shukla

श्याम बिराई



000005

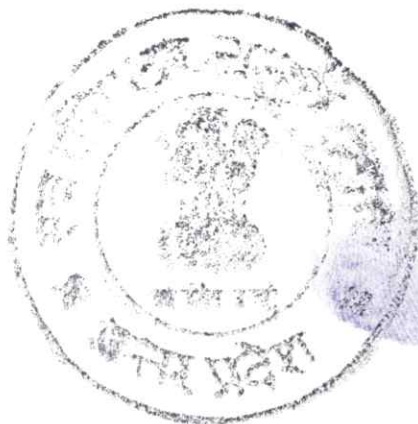


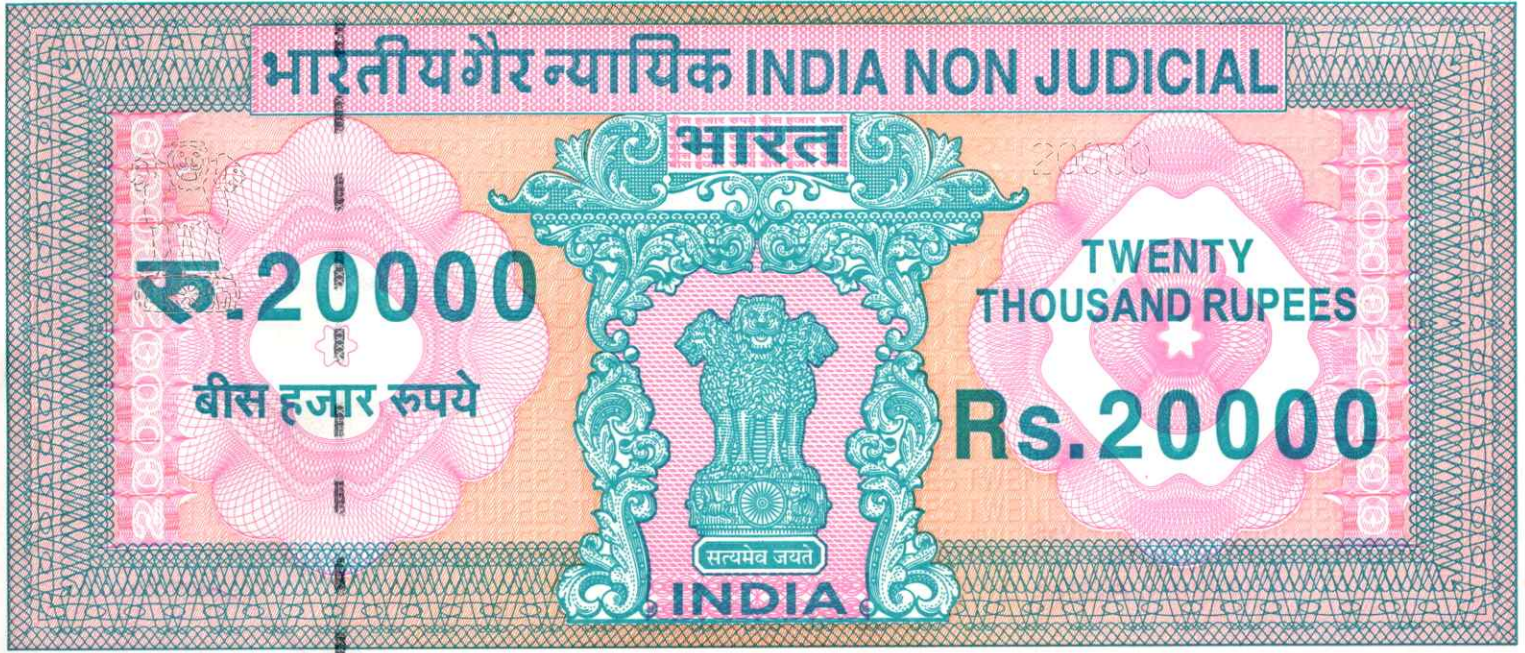
म
ह

यह स्टाम्प धनराशि का ५२५५
नं० १ में शामिल है

MR. ASH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

024384 8





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 436449

B 436449

-9-

यह कि अगर भविष्य में कोई कॉमी या खानदानी या कोई वारिस या कोई दीगर व्यक्ति या कोई दीगर किफालतदार पैदा होकर दावा व झगड़ा क्रेता द्वितीय पक्ष से करे या जिसकी वजह से किसी को कोई रकम अदा करने पड़े या खर्चा करने पड़े या क्रेता के हक व अधिकार से उक्त आराजी का कुल जुज व कब्जा व दखल निकल जावे, तो ऐसी उन कुल तमाम सूरतों में उस कुल की जबावदेही व जिम्मेदारी व अदायगी प्रथम पक्ष व वारिसान प्रथम पक्ष की होगी जिसमें प्रथम पक्ष व वारिसान प्रथम पक्ष को कोई उज्र व एतराज व आपत्ति नहीं होगी। विक्रेता प्रथम पक्ष यह घोषणा करता है एवं वचन देता है कि उसके द्वारा विक्रय प्रतिफल धन से पूर्ण

ब्रह्मवीर सिंह

K. K. Shukla



00005



व

यह स्टाम्प धन के लिए
नं० 1 में शामिल है

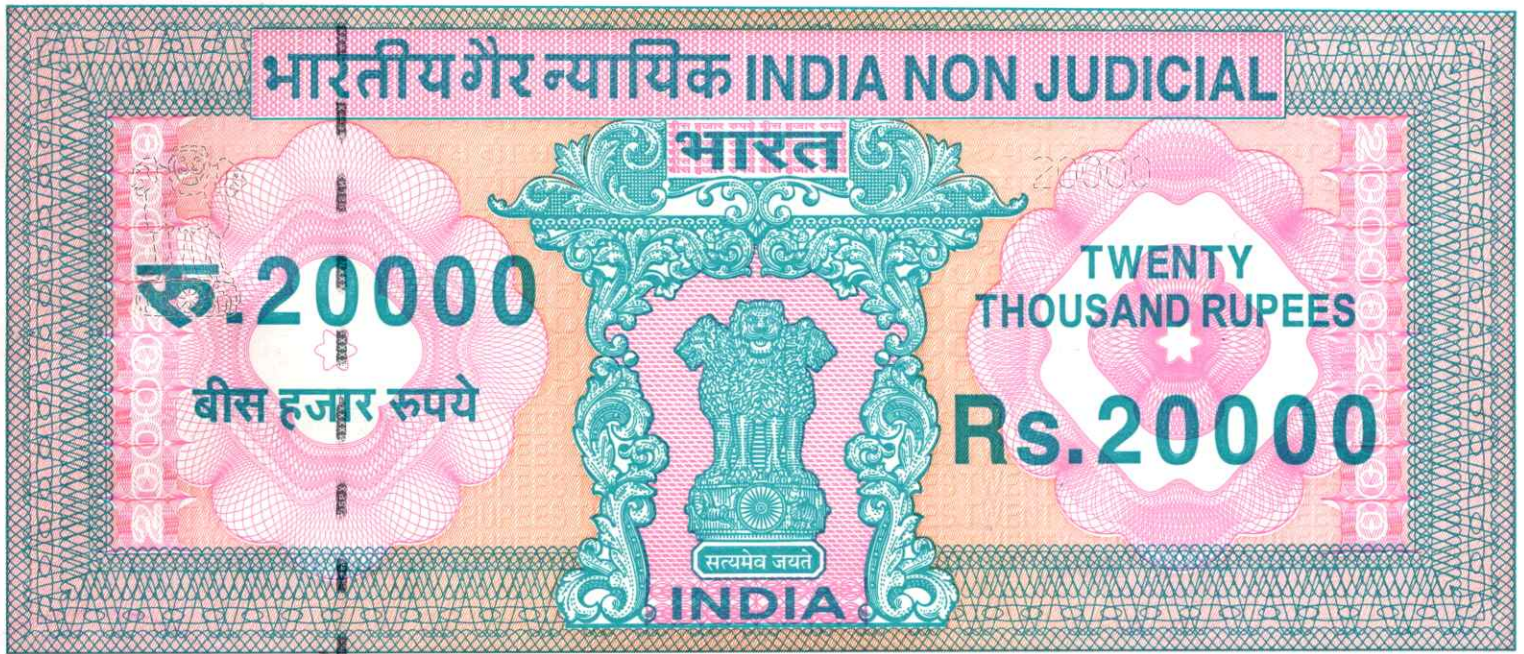
महेश कुमार

32

MANESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

044884 8





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 436448

B 436448

-10-

संतुष्ट होकर यह विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है और इस सम्बन्ध में अथवा विक्रय प्रतिफल धनराशि को बढ़वाने के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल आदि में कोई भी वाद अथवा कानूनी कार्यवाही नहीं करेगा तथा यदि विक्रीत भूमि की वास्तविक पैमाइश के समय भूमि मौके पर कम पायी जाती है तो वह आनुपातिक रूप से कम भूमि का मूल्य मय व्याज 12 प्रतिशत सालाना की दर से क्रेता द्वितीय पक्ष आगरा विकास प्राधिकरण आगरा को वापस कर देगा। ऐसा नहीं करने पर क्रेता द्वितीय पक्ष विधिक प्रक्रिया के तहत उसे मय व्याज व हर्जे, खर्चे के विक्रेता प्रथम पक्ष व उसके वारिसानों से वसूल करने का अधिकारी होगा।

श्री गणेशाय नमः

fk. Sh. 18



000005



2
TN

4204m

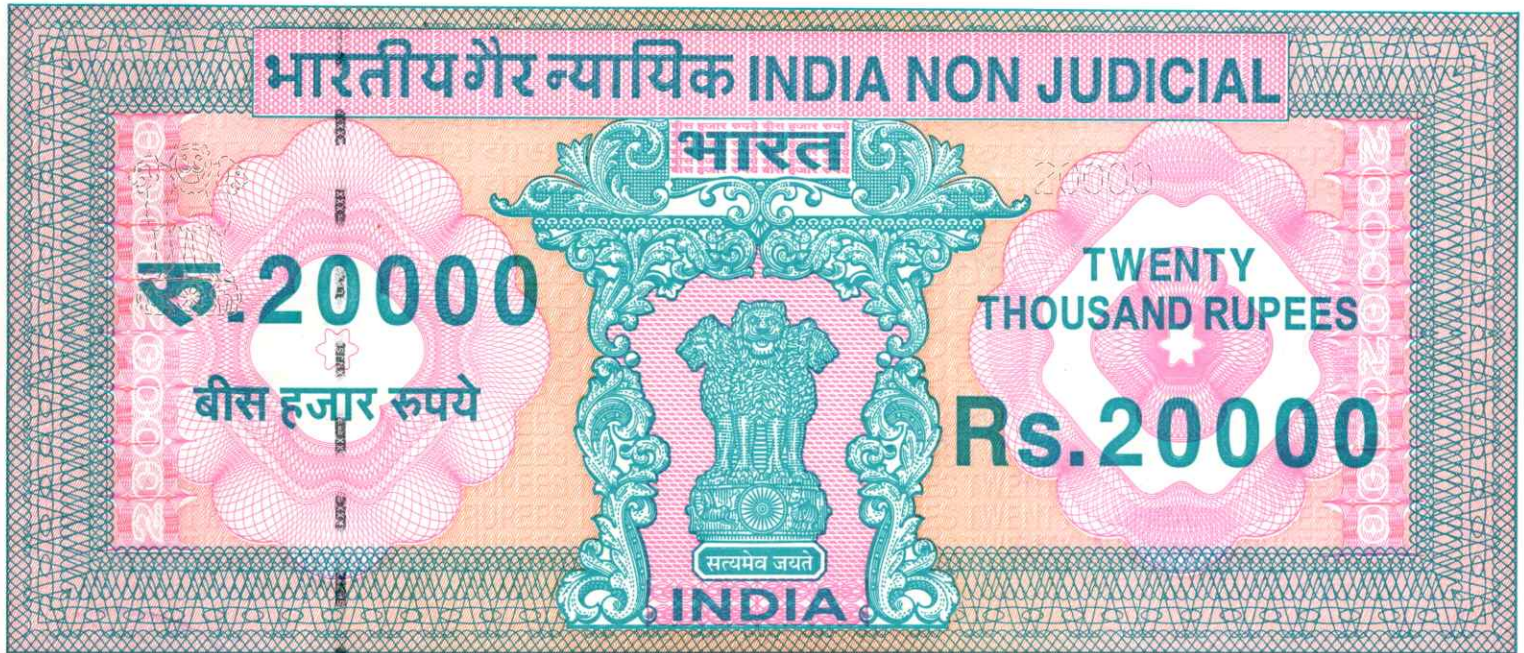
संलग्नक नं. 1
नं 1 में शामिल है.

32

M. K. KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

844384 8





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 436447

B 436447

-11-

यह कि विक्रय प्रतिफल धनराशि पर यदि कोई इनकम टैक्स देय होगा अथवा विक्रीत भूमि पर यदि कोई अन्य टैक्स अथवा वैधानिक देयता पायी जाती है तो उसे अदा करने की जिम्मेदारी विक्रेता प्रथम पक्ष की होगी। महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0 के आदेशानुसार भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) के अनुसार लेखपत्र में वे सभी तथ्य और परिस्थितियाँ जो स्टाम्प देयता को प्रभावित कर सकती हैं, पूर्णतया सत्यता पूर्वक अंकित कर दिये गये हैं। उक्त बैनामा का खर्चा व स्टाम्प शुल्क द्वितीय पक्ष क्रेता द्वारा अदा किया गया है।

P.K. Sharma



श्यामबीर सिंह



000005



11

यह स्थान का है नं० 1 मेड

42444

MUKESH KUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

744384 8





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 436446

B 436446

-12-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

प्रमाणित

P. K. Sharma



000005

27
12

संलग्न की जा
रहती है।

400000

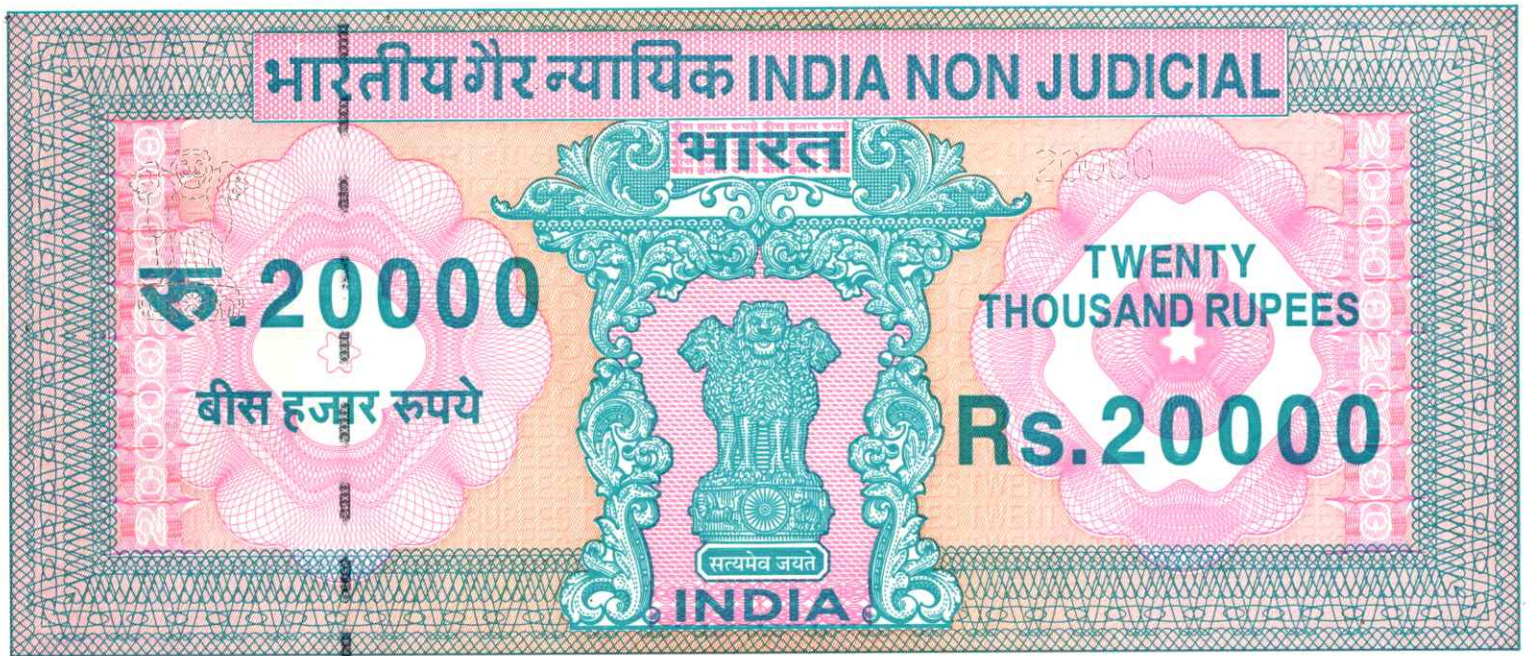


38

MUKESH K. MAR
CASHIER
Treasury, AGRA

844884 8





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 436445

B 436445

-13-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

श्याम बरि सिंह

P.K. Shukla



00005

2
13

यह स्वरूप दिनांक 13 नवंबर 1954

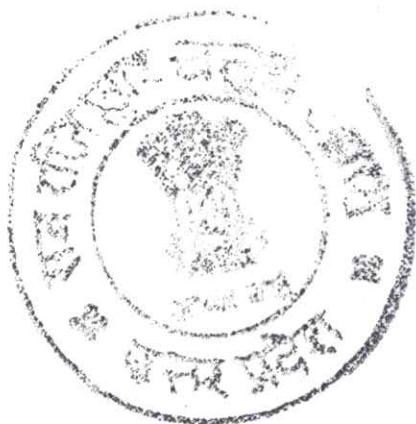
Yunny

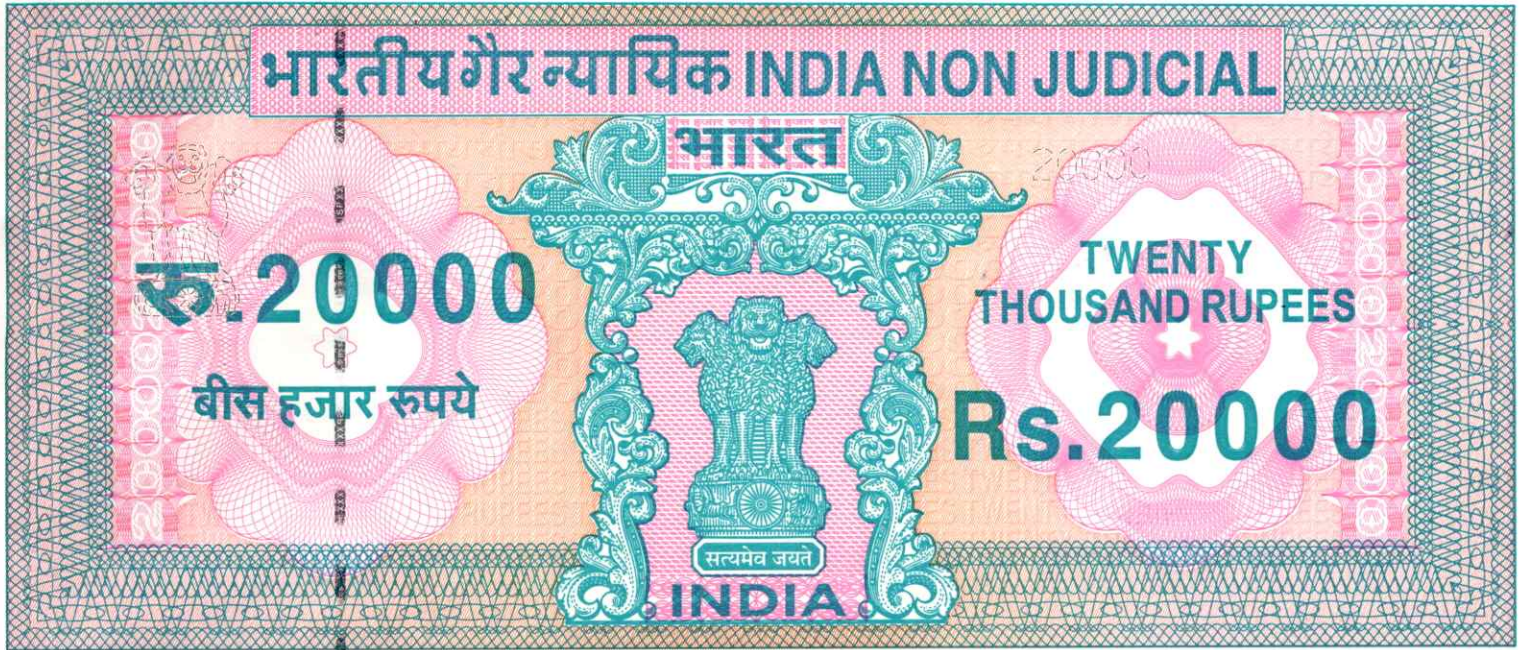


29

M. S. MAR
CASHIER
Treasury, AGRA

B 438445





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 436444

B 436444

-14-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

प्रधानमंत्री

P. K. Shukla



000005



यह स्टांप नं० १५

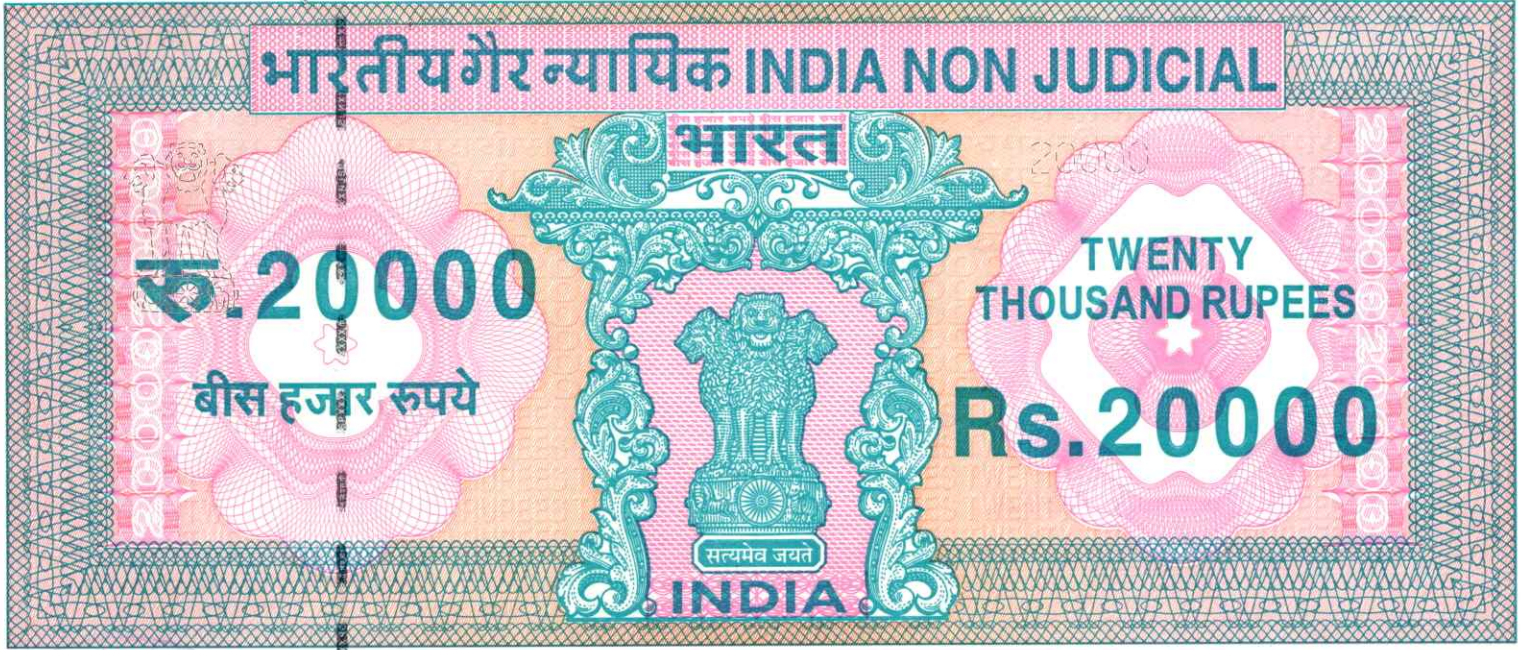
५२०५५

३२

M. Z. B. M. VAR
CASHIER
Treasury, AGRA

५५५५५५ ६





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 436443

B 436443

-15-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

P.K. Shukla



ब्रह्माचारी सिंह



00005

22/15 42042

महाराष्ट्र सरकार

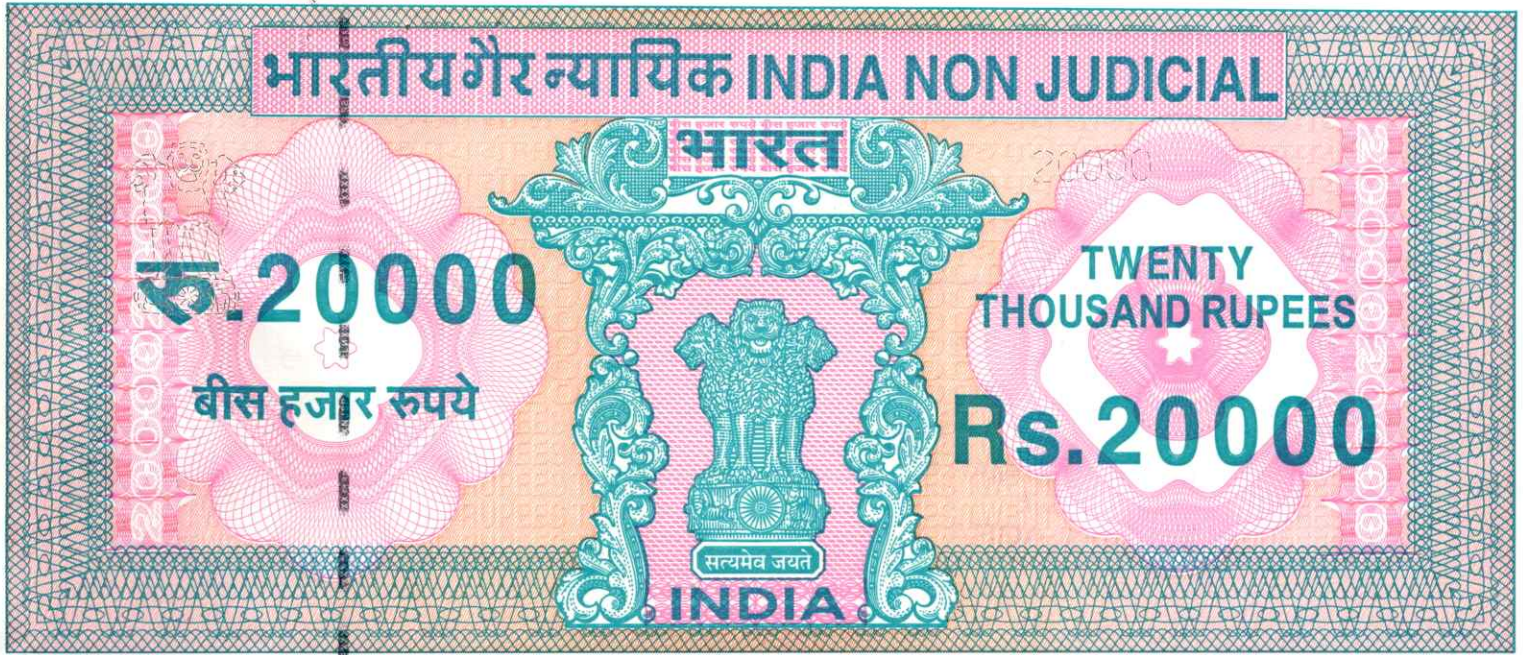


M. K. LUMAR
CASHIER
Treasury, AGRA

22

844884 8





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 436442

B 436442

-16-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

P. K. Shukla



प्रमाणित है



0000S

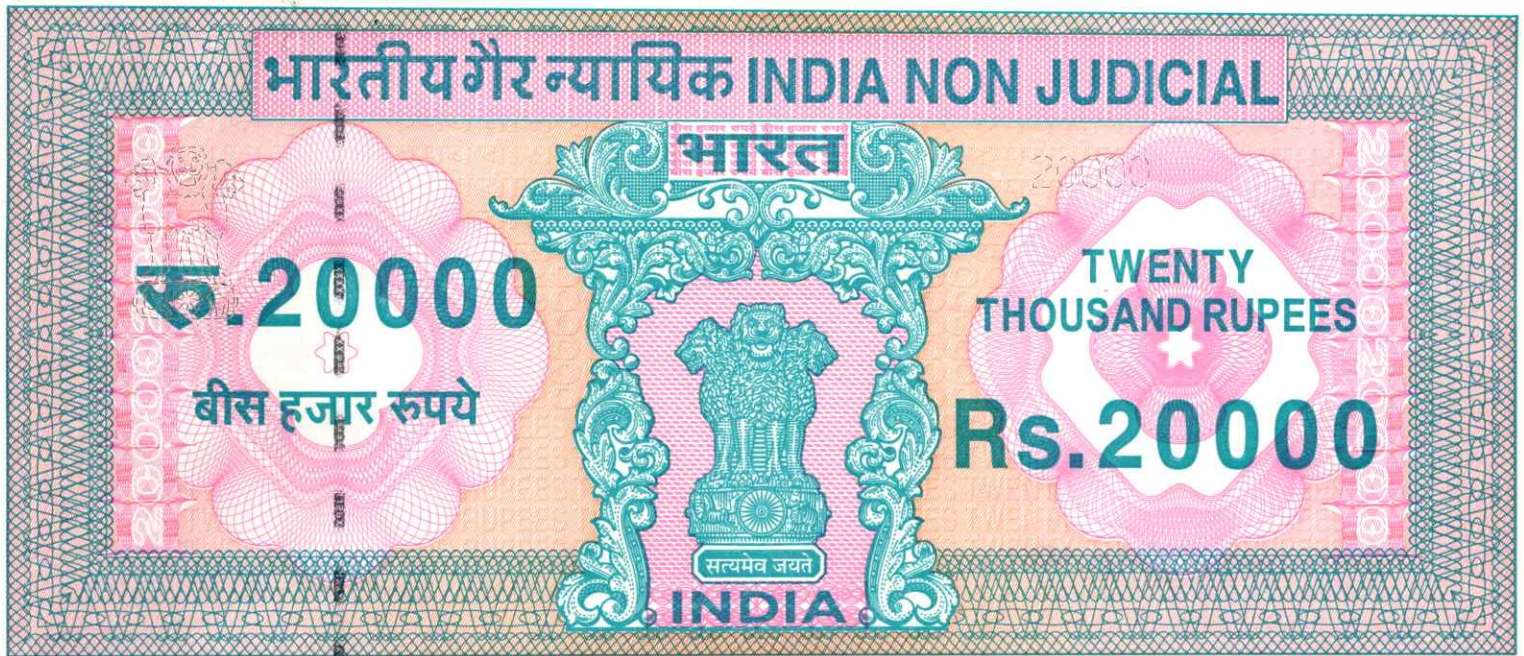


16 यह लाभ वितरित की 42044
नं० 11, टा. है।

M. KUMAR
CHIEF
Treasury, AGRA

8 42044 S





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 436441

B 436441

-17-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

प्रधामदारिद्र्य

P.K. Jha



0000S



12

यह स्टांप धनपत्र रु० _____
नं० 1 में जारी है

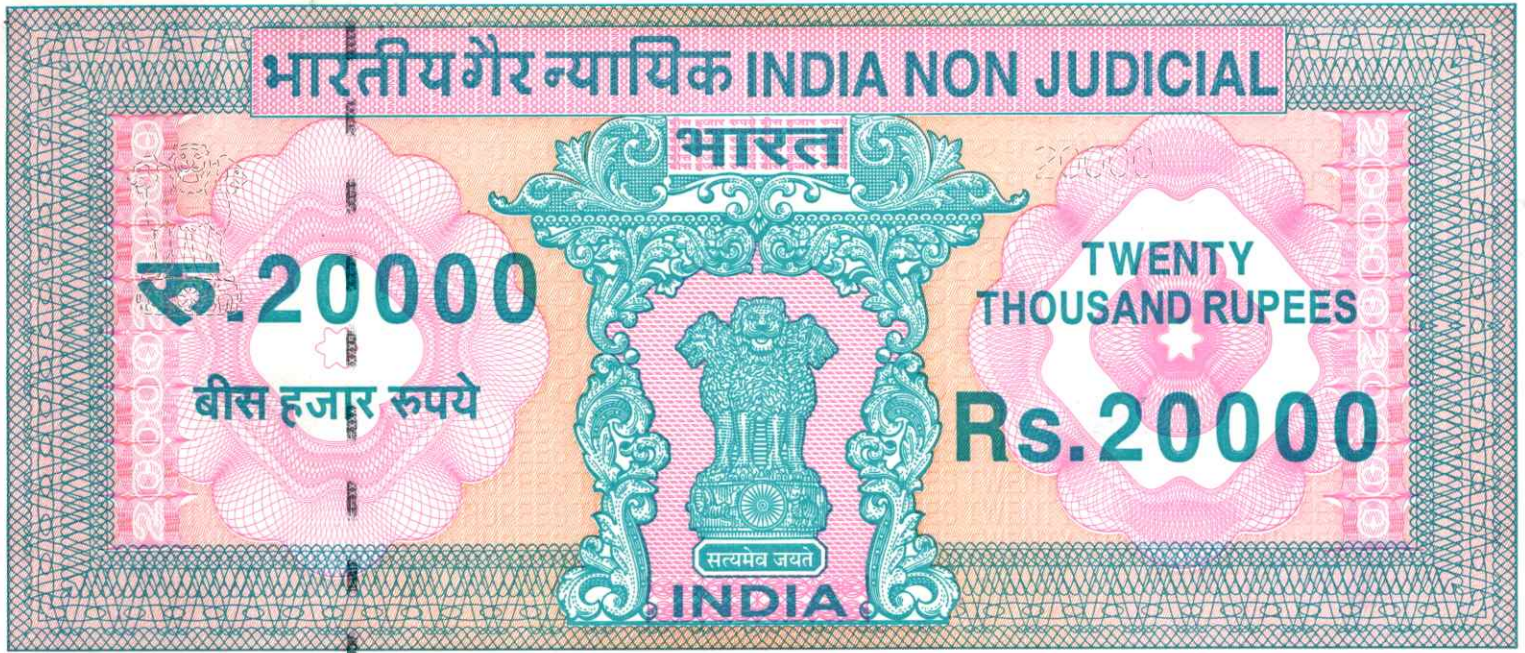
420644

32

MR. J. MAR
CAHIER
Treasury, AGRA

144884 B





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 436440

B 436440

-18-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

P.K. Sharma

प्रमाणित



00005

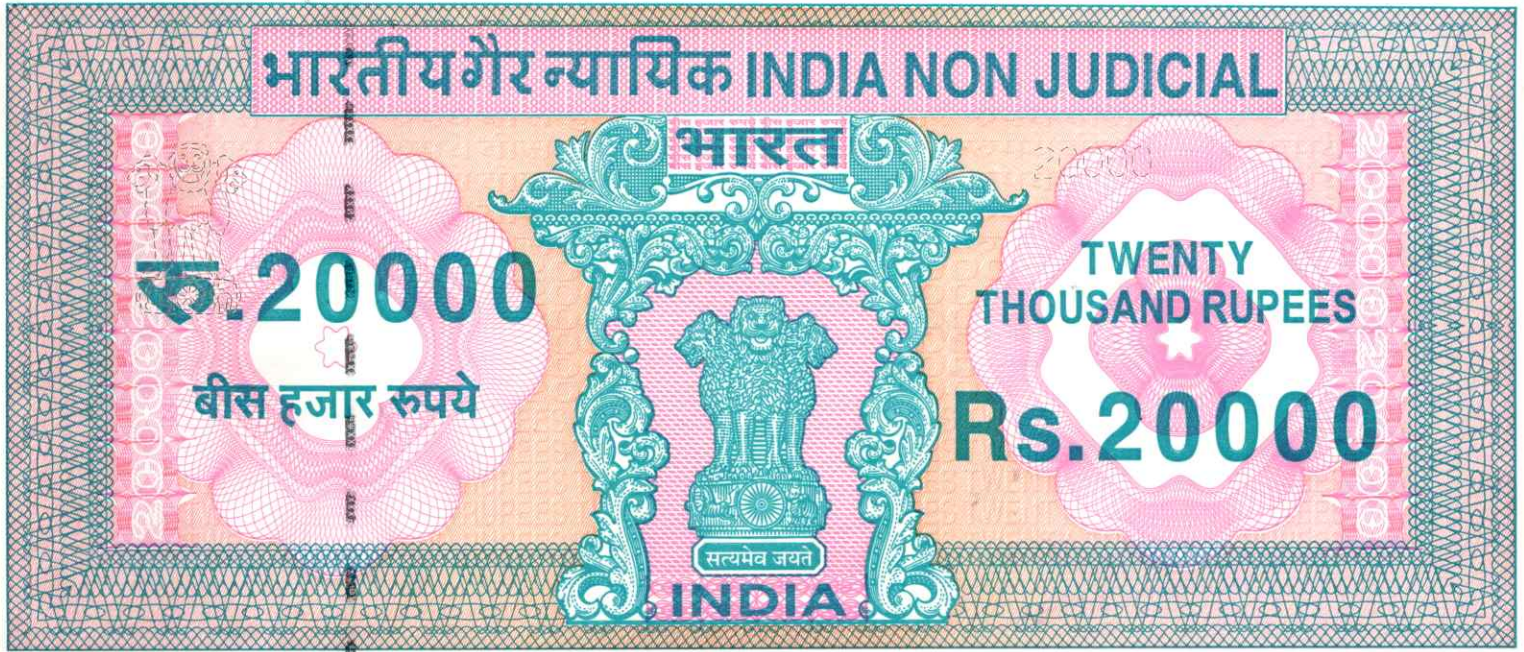
G20424



10
यह सच्य पत्रादि रु०
नं० १६ अंकित है।
M. MAR
Treasurer, AGRA

044684 E





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 436439

B 436439

-19-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

P.K. Shukla

प्रमाणबशः



00005



an
19

यह स्टाम्प धनराशि रु०
नं० 1 में है।

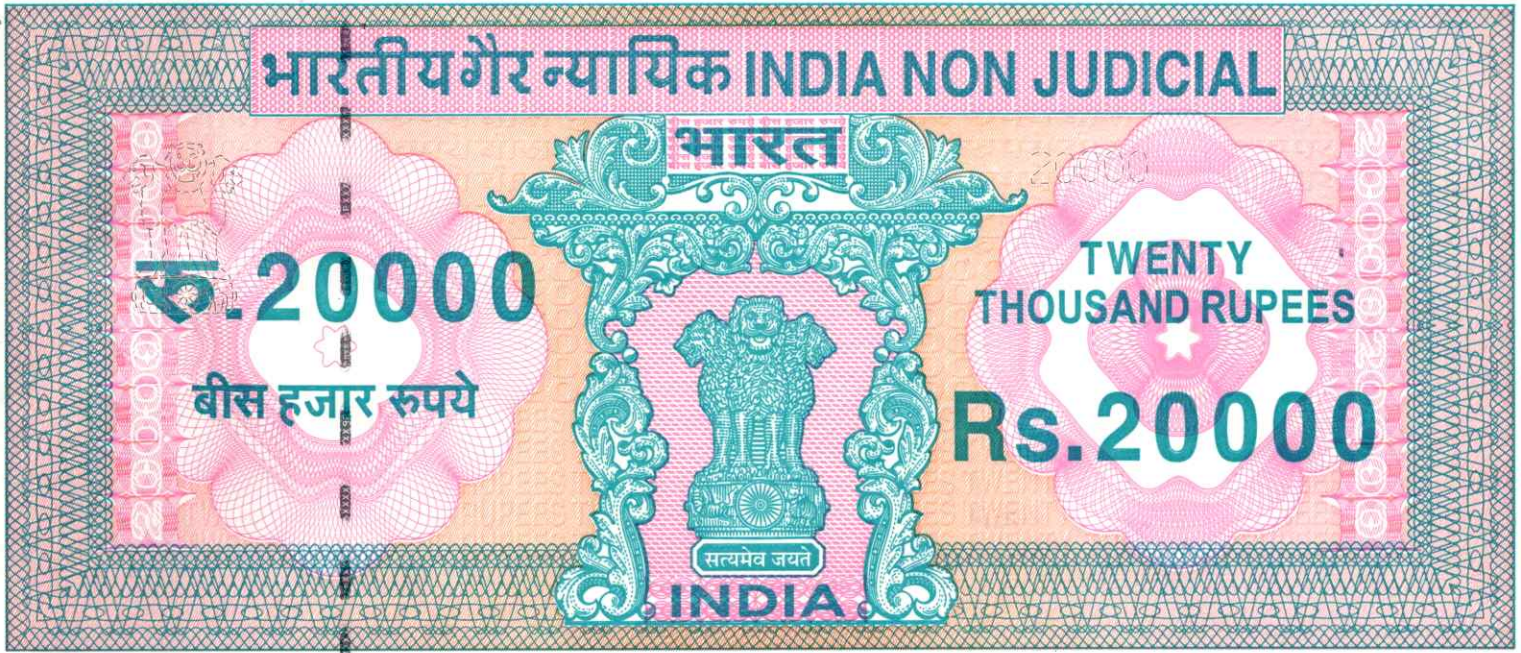
67442

22

SHRUMAR
ASHIER
Treasury, AGRA

004804 8





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 436438

B 436438

-20-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।



प्रवाम बोर सिंह

P.K. Shukla



00005



37
27 यह स्थान भारतीय जल नं० १ के अंतर्गत है। 4241

32
MAR
TIER
Treasury, AGRA

884884 8





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 436437

B 436437

-21-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

श्याम बरार सिंह

P.K. Shukla



000005
यह स्थान कार्यालय नं० 1 में शामिल है!



H KUMAR
SHIER
Treasury, AGRA

543843A





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GM 284723

-22-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

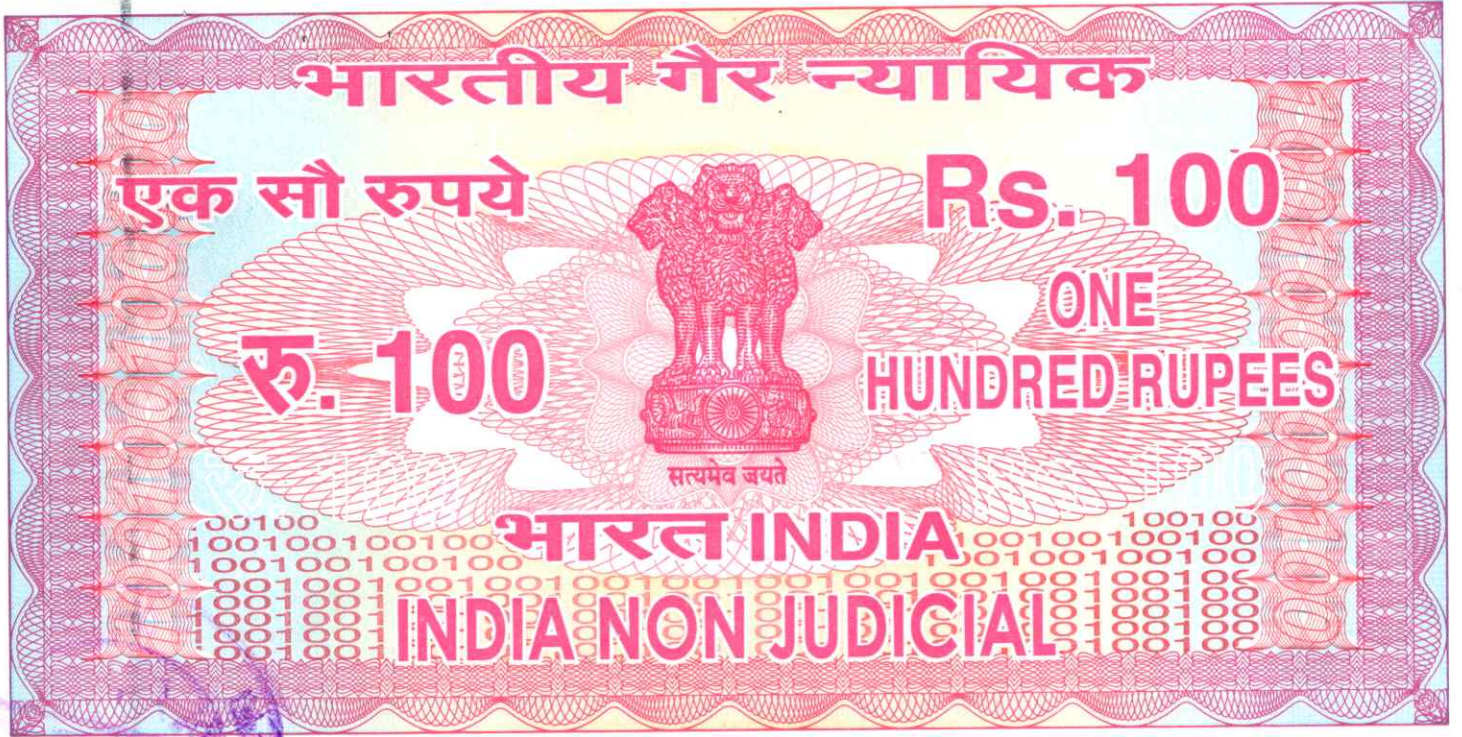
P.K. Jha

श्यामबीर सिंह



32





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GM 284722

-23-

स्टाम्प बैनामा के साथ संलग्न है।

P. K. Shukla



प्रियामबाई



1-
23

यह स्टाम्प धराराशि नं० 71

420400

आवेदन सं०: 202400766062929

CASHIER
Treasury, AGRA

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 9024

वर्ष: 2024

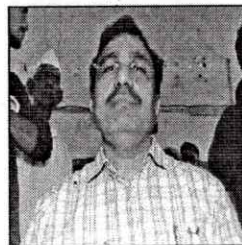
प्रतिफल- 6004433 स्टाम्प शुल्क- 420400 बाजौरी मूल्य - 1500000 पंजीकरण शुल्क - 60050 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 120 योग : 60170

श्री आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा
कृष्ण पाल सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,

व्यवसाय : नौकरी

निवासी: आगरा विकास प्राधिकरण आगरा

R. K. Singh



श्री, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा

कृष्ण पाल सिंह अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 08/10/2024 एवं
04:01:40 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(Signature)

संजय सिंह ०

उप निबंधक : सदर चतुर्थ

आगरा

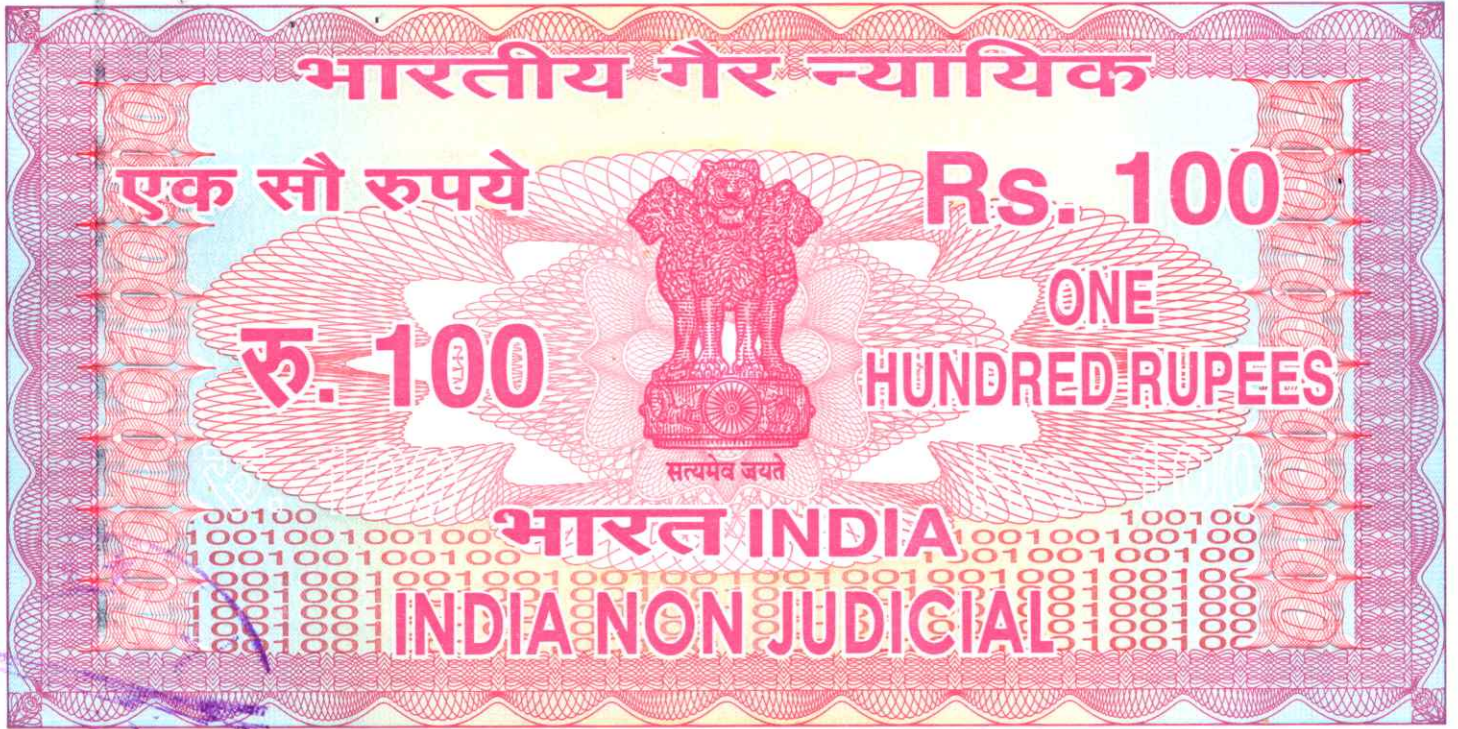
08/10/2024

०००

निबंधक लिपिक

08/10/2024





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GM 284721

-24-

अतः यह विक्रय पत्र हम दोनों पक्षों ने आज दिनांक 07.10.2024 को इसके प्रारूप से सन्तुष्ट होकर नीचे लिखे अपने परिचित साक्षियों के समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर व निशानात अंगूठों के द्वारा निष्पादित किया तथा साक्षियों ने भी पक्षों के कहने पर इसी समय तथा उन्हीं के समक्ष अपनी गवाही दी इस विक्रय पत्र का प्रारूप पक्षों के दिये

प्रमाणबोधित

P. K. Shukla



बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 9024

वर्ष: 2024

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता: 1

श्री श्यामवीर सिंह, पुत्र श्री ग्यासीराम

निवासी: ककुआ आगरा

Treasury, AGRA

व्यवसाय: अन्य

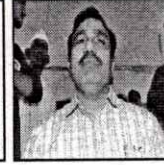
क्रेता: 1



श्री आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा कृष्ण पाल सिंह, —

निवासी: आगरा विकास प्राधिकरण आगरा

व्यवसाय: नौकरी



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री विनोद कुमार, पुत्र श्री रघुवीर सिंह

निवासी: लॉयर्स कालौनी आगरा

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2



श्री रवि बघेल, पुत्र श्री नन्द किशोर

निवासी: टीला माईथान आगरा

व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

संजय सिंह ०

उप निबंधक : सदर चतुर्थ

आगरा

08/10/2024

०००

निबंधक लिपिक आगरा

08/10/2024

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:

प्रिंट करें



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GM 284720

-25-

गये निर्देशों के अनुसार उनकी संतुष्टि पर प्रवीन कुमार रावत एडवोकेट ने तैयार किया और दोनों पक्षों ने पढ़कर व सुनकर निष्पादित व हस्ताक्षरित किया है।

प्रमाणित किया है

R.K. Shukla



गवाह-1

विनोद कुमार पुत्र रघुवीर सिंह नि0 8/153 ई-10 न्यू लॉयर्स कालोनी, आगरा। मो0नं0 7895495945

18/11/21



गवाह- 2

रवि बघेल पुत्र श्री नन्द किशोर नि0 17/166 टीला माईथान, आगरा मो0नं0 8535056934

A 4

42042

42042

04/10/24

आवेदन सं०: 202400766062929

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 7334 के पृष्ठ 195 से 244 तक क्रमांक 9024 पर दिनांक 08/10/2024 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Sanjay Singh

संजय सिंह ०

उप निबंधक : सदर चतुर्थ

आगरा

08/10/2024

